रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082020-221048
CG-DL-E-10082020-221048

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2020/श्रावण 19, 1942
No. 394] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2020/SHRAVANA 19, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2020

आयकर

सा.का.नि. 499(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क की उपधारा (8) के खंड (घ) और धारा 206कक की उपधारा (7) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (19 वां संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, --

नियम 37खग के उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(3) **धारा 206कक** के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अनिवासी है, कोई कंपनी या कोई विदेशी कंपनी नहीं है, लागू नहीं होंगे यदि धारा 139क के उपबंध नियम 114ककख के कारण ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होते हैं ।";

3. मूल नियम के नियम 114ककक के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"ऐसे व्यक्तियों का या के वर्ग जिनको धारा 139क के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

114ककख (1) धारा 139क के उपबंध किसी ऐसे अनिवासी को लागू नहीं होंगे जो कोई कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनिवासी कहा गया है) जिसने पूर्व वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट निधि में विनिधान किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की हैं, अर्थात् :—

(i) अनिवासी ने भारत में पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट निधि में विनिधान से आय से भिन्न कोई आय अर्जित नहीं की है ।

(ii) अनिवासी की आय पर अधिनियम की धारा 194ठखख में विनिर्दिष्ट दरों पर देय किसी आय-कर की स्रोत पर कटौती की गई है और उसे विनिर्दिष्ट निधि द्वारा केंद्रीय सरकार को विप्रेषित किया गया है; और

(iii) अनिवासी ने विनिर्दिष्ट निधि के लिए निम्नलिखित ब्यौरे और दस्तावेज दिए हैं, अर्थात् :--

(क) नाम, ई मेल आई डी, टेलीफोन नं.;

(ख) भारत से बाहर के उस देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का पता जिसका वह निवासी है;

(ग) यह घोषणा कि वह भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र का निवासी है ;

(घ) उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की कर पहचान संख्या जिसका वह निवासी है और यदि ऐसी संख्या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा, जिसका उसने निवासी होने का दावा किया है, अनिवासी की पहचान की जाती है ।

(2) विनिर्दिष्ट निधि उस वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए तिमाही विवरण प्रस्तुत करेगी, जिसमें इलैक्ट्रानिक ढंग से आय-कर प्रधान महानिदेशक (तंत्र) या आय-कर महानिदेशक (तंत्र) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्ररूप सं. 49खक में उपनियम (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट ब्यौरे और दस्तावेज उसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तथा उस वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत से पन्द्रह दिन के भीतर उपनियम (1) के उपखंड (ग) के खंड (iii) में निर्दिष्ट घोषणा अपलोड करेगी, जिससे ऐसा विवरण उपनियम (3) के अधीन आय-कर प्रधान महानिदेशक (तंत्र) या आय-कर महानिदेशक (तंत्र) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्ररूपों और मानकों के अनुसार संबंधित है ।

(3) आय-कर प्रधान महानिदेशक (तंत्र) या आय-कर महानिदेशक (तंत्र) प्ररूप 49खक को प्रस्तुत करने और उसके सत्यापन के प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेंगे तथा उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार तिमाही विवरण प्रस्तुत करने और उसके सत्यापन के संबंध में दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "विनिर्दिष्ट निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है, जो न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी अथवा निगमित निकाय के रूप में भारत में स्थापित या निगमित की गई है, जिसे प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधियां) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित है तथा जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है ;

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में है ।"

4. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं. 49ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 49खक

[नियम 114ककख देखें]

(वित्तीय वर्ष) ..... की ..... तिमाही के लिए नियम 114ककख में निर्दिष्ट अनिवासी के संबंध में विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला तिमाही विवरण

1. विनिर्दिष्ट निधि का नाम
2. स्थायी लेखा संख्या/आधार संख्या
3. नियम 114ककख के उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनिवासी के ब्यौरे

क्रम सं.	नाम	ई-मेल पता	संपर्क दूरभाष संख्या	भारत के बाहर उस देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का पता, जिसका अनिवासी निवासी है	कर पहचान संख्या, यदि कोई हो	विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर अनिवासी को उस देश की या विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा पहचाना जाता है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है (यदि कर पहचान संख्या उपलब्ध नहीं है तो प्रस्तुत किया जाए)

सत्यापन

मैं, …….. (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री ....., जिसका स्थायी लेखा संख्या/आधार संख्या ..... है, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से ऊपर दी गई जानकारी सही और पूर्ण है।

हस्ताक्षर .....

नाम और पदनाम .....

स्थान .....

तारीख .....

संलग्नक (अपलोड किए जाने के लिए)

नियम 114ककख के उपनियम (1) के खंड (iii) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट अनिवासी से प्राप्त घोषणा।"

[अधिसूचना सं. 58/2020/फा.सं. 370133/8/2020-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 469(अ), तारीख 28 जुलाई, 2020 द्वारा किए गए।